बिहार सरकार

महिला एवं बाल विकास निगम बिहार

Centre for Catalyzing Change

कार्यस्थल हो या बाहर हमेशा जानें, अपने अधिकार

कार्यस्थल क्या है?

जहाँ महिला को काम के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त किया गया हो या जहाँ वह आधिकारिक कारणों से गयी हो । जैसे की -

- ऑफिस द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम
- काम से संबंधित यात्रा के दौरान
- सेवा लेने वाले व्यक्ति/ग्राहक के परिसर में
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों, काम से जुड़े लंच या रात्रिभोज, प्रचार अभियान या, ग्राहकों या संभावित भागीदारों या जनसंपर्क कार्यक्रमों में
- काम से संबंधित फोन पर बातचीत या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के दौरान
- असंगठित क्षेत्र: कार्यस्थल के संबंध में असंगठित का अर्थ व्यक्तियों या स्व-नियोजित श्रमिकों के स्वामित्व वाला एक उद्यम है और जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री या सेवा प्रदान करने में व्यस्त है, और जहां उद्यम कर्मचारी या श्रमिकों की संख्या दस से कम है।

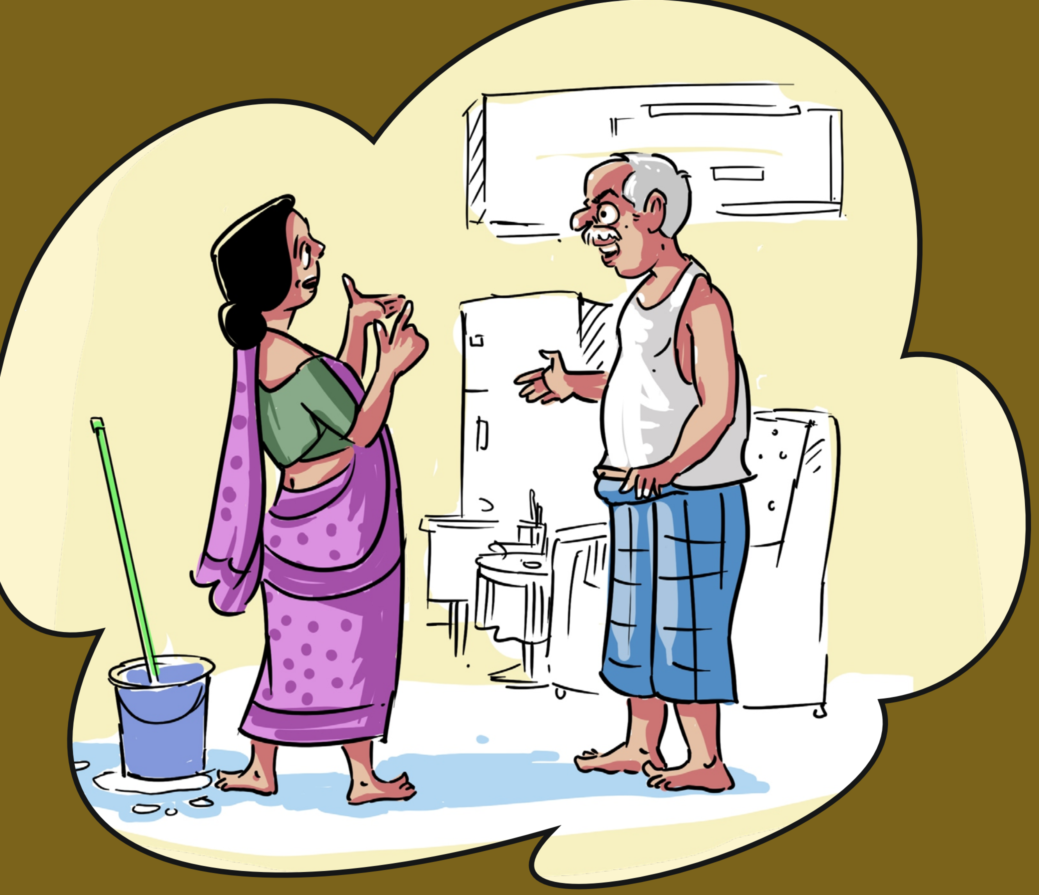

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अर्थात

कोई भी अवांछित कार्य या यौन व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से व्यक्त या निहित हो । इसमें यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण शामिल है।

- अश्लील टिप्पणियाँ, कहानियाँ और चुटकुले, सीटी बजाना, अश्लील तस्वीरें दिखाना
- महिला कर्मचारी के रंग-रुप, आयु, निजी जीवन, आदि पर टिप्पणियाँ
- यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध
- अवांछित अश्लील वीडियो, ईमेल, या मेसेज

बराबरी और सम्मान, हो हर कार्यस्थल की पहचान